पत्र संख्या:-अपर आयु0(पुलिस)/ मानदेय/ 2024-25// 456 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(पुलिस-कैम्प)
दिनॉक :: लखनऊ :: 17 मार्च,2025

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या-1172/6-पु-1-10-अ-600(41)/07 दिनांक 09-04-2010 के द्वारा पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को राजकीय अवकाश, रविवार व द्वितीय शनिवार का उपभोग न कर पाने के एवज में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप मे दिये जाने की स्वीकृति उल्लिखित शर्तो के अनुसार प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश के अनुसार राज्य कर विभाग के मुख्यालय/ भिन्न भिन्न जोनों में तैनात पुलिस कर्मियों को राजकीय अवकाशों में आवश्यकतानुसार डयूटी किये जाने के फलस्वरूप उन्हें **वित्तीय वर्ष 2024-25** में एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप में दिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उन्हें उनके मूल विभाग से उस वर्ष के लिए अतिरिक्त वेतन मानदेय दिया गया है अथवा नहीं। तद्नुसार सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा अतिरिक्त वेतन मानदेय दिये जाने का आदेश जारी करते हुए उसकी सूचना पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका में अनिवार्य रूप से अंकित करने के साथ ही आदेश की प्रति उनके मूल विभाग के पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

यह आदेश आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या:व दिनांक: उक्त।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
3- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर उत्तर प्रदेश।
4- उपायुक्त एवं आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, मुख्यलय, लखनऊ।

17/03/25

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।